संख्या-438/2017/2143/22-2-2016-17(254)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बिन्द्रा पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बिन्द्रा पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी निवासी-भवनापुर मजरे गढ़ा, थाना-किशुनपुर, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी ने खेत में मृतकों द्वारा जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.03.1979 को सायं लगभग 06:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ विपक्षी देशराज की गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक अन्य देवराज की लाठी से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-176/1979, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 31.03.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1183/1980 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.1998 द्वारा धारा-302 मे आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्तों में से 01 की मृत्यु हो चुकी तथा 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हुए हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2015 तक 18 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 04 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सामान्य है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा खेत में जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में निर्दयता पूर्वक देशराज की गोली मारकर एवं देवराज की लाठी से मारकर जघन्य हत्या करने का अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 65 वर्ष 08 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी बिन्द्रा पुत्र श्री जगन्नाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बिन्द्रा (बन्दी संख्या-5372/1998) पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-438/2017/2143(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-438/2017/2143/22-2-2016-17(254)/2011

दिनांक 14 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बिन्द्रा पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी निवासी-भवनापुर मजरे गढ़ा, थाना-किशुनपुर, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी ने खेत में मृतकों द्वारा जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 13.03.1979 को सायं लगभग 06:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ विपक्षी देशराज की गोली मारकर हत्या कर दी तथा एक अन्य देवराज की लाठी से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-176/1979, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 तृतीय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 31.03.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-1183/1980 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.02.1998 द्वारा धारा-302 मे आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्तों में से 01 की मृत्यु हो चुकी तथा 02 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हुए हैं। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2015 तक 18 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 04 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सामान्य है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा खेत में जानवर चराने को लेकर हुए विवाद में निर्दयता पूर्वक देशराज की गोली मारकर एवं देवराज की लाठी से मारकर जघन्य हत्या करने का अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 65 वर्ष 08 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बिन्द्रा पुत्र श्री जगन्नाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in